

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दांडिक0प्र0क0-145 / 12

संस्था0दि0 14 / 03 / 12

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

1. सतीश उर्फ टीनू पिता रमेश, उम्र 31 वर्ष,
2. सोनू पिता अमरनाथ, उम्र 34 वर्ष,
3. अज्जू उर्फ अजय पिता टीकाराम, उम्र 31 वर्ष,
तीनों नि0 गोविन्द कॉलोनी आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्तगण**

--: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 27 / 07 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि दिनांक 12/03/16 को 09:00 बजे रात्रि गोस्वामी किराना दुकान के सामने गोविन्द कालोनी आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी कपील नागले की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह आरोपी टिनू उर्फ सतीश नागले ने फरियादी कपील नागले को किसी धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2— प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 17/03/16 को अभियुक्तगण और फरियादी कपिल के बीच मधुर संबंध हो जाने से राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320-2 एवं आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। किन्तु भा0दं0वि0 की धारा 324/34 का अपराध राजीनामा योग्य अपराध न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना हाजिर होकर जबानी रिपोर्ट कर बताया कि दिनांक 12/03/12 को दिन सोमवार को राति 9 बजे गोविन्द कॉलोनी गोस्वामी किराना दुकान के सामने सतीश उर्फ टिनू नागले, सोनू यदुवंशी, अज्जू प्रजापति ने शराब के नशे में रंग डालने का मना करने पर से गाली गुप्तार किये एवं टिनू नागले ने किसी वस्तु से मारा, जो उसके बांये कंधे पीठ पर चोट लगकर खून निकला। गवाह ससुर सरजेराव, रवि शेषकर है। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।

4- प्रकरण में नकल रोजनामचा सान्हा प्र0पी0 2 तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 107/12 के अंतर्गत भा.द.सं की धारा 324/34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 13.03.12 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 3 तैयार किया गया। दिनांक 13/03/12 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। आहत का मेडिकल मुलाहिजा किया गया, साक्षियों को कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 11/05/16 को अभियुक्तगण को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया, अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- “क्या दिनांक 12/03/16 को 09:00 बजे रात्रि गोस्वामी किराना दुकान के सामने गोविन्द कालोनी आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी कपील नागले की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह आरोपी टिनू उर्फ सतीश नागले ने फरियादी कपील नागले को किसी धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

7- अभियोजन साक्षी कपिल (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी घटना के समय वह एवं मयूर मौके पर घटना स्थल पर थे, तभी आरोपीगण आये और पुरानी रंजिश से उसे मारने के लिए दौड़े, तो वह वहां से भाग गया, भागते-भागते वह गिर गया, जिससे उसे चोटें आई थी। पुलिस ने उसका डॉक्टर मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस जांच करने मौके पर आई थी एवं मौका नक्शा प्र0पी0 3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने धारदार हथियार से मारपीट नहीं किये थे। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 12/03/12 को आरोपीगण ने उसके साथ एक राय होकर धारदार हथियार छुरी से मारपीट किया था जिससे उसे बांये कंधे पर चोटें आई थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रोजनामचा रिपोर्ट प्र0पी0 2 एवं पुलिस कथन प्र0पी0 4 का ए से ए भाग लेख कराया था। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अंधेरा था वह आरोपीगण को देख नहीं पाया था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने धारदार हथियार से मारपीट नहीं किए थे। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

8- अभियोजन साक्षी मयूर (अ0सा03) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9- अभियोजन साक्षी डॉ० बी.पी. चौरिया (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 12/03/12 को सी.एस.सी. आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने कपिल नागदेव पिता नाथू नागले, उम्र 24 वर्ष, जाति मेहरा, नि० आमला जिसे थाना आमला के आरक्षक तुकाराम कं. 79 द्वारा लाया गया था कि चोटों का परीक्षण किया था। चोट कं. 1 सीधा कट 6 से.मी. लम्बा चमड़ी की गहराई तक बांये बक्खे पर, उक्त चोट उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर धारदार वस्तु से आई है एवं साधारण है। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत को सीधा कट 6 से.मी. लम्बा चमड़ी की गहराई तक बांये बक्खे पर, उक्त चोट आने के तथ्य को बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा में प्रश्नगत नहीं किया है, बल्कि यह सुझाव दिया है कि यदि उक्त चोट वाहन चलाते समय किस धारदार पत्थर पर गिरने से, उक्त चोट आना संभव है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत कपिल को सीधा कट 6 से.मी. लम्बा चमड़ी की गहराई तक बांये बक्खे पर होकर, उपहति कारित हुई थी।

10- किन्तु स्वयं आहत कपिल (अ0सा02) ने अपनी मुख्य परीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने धारदार हथियार से मारपीट नहीं किये थे और प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अंधेरा था वह आरोपीगण को देख नहीं पाया था। इस प्रकार स्वयं फरियादी कपिल के द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि आरोपीगण ने धारदार हथियार से मारपीट नहीं किये थे और घटना के समय अंधेरा था वह आरोपीगण को देख नहीं पाया था। ऐसी परिस्थिति में डॉ० एन०के० रोहित (अ0सा01) की साक्ष्य के अनुसार जो चोटें आहत कपिल के शरीर में बतायी गई हैं और जो उपहति पाई गई है। वह अभियुक्तगण के द्वारा नहीं पहुँचाई गई, यह स्पष्ट होता है।

11- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह आरोपीगण ने फरियादी को किसी धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह आरोपीगण ने फरियादी को किसी धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्तगण सतीश उर्फ टिन्नु सोनू अज्जू उर्फ अजय को भा०द०वि० की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13- प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गए। प्रकरण में आरोपीगण के धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14- प्रकरण में जप्त शुदा एक लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।
अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।
निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0